316

संख्या– /XXVIII–5–2013–25/2006

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग– 5 देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2013

**विषयः मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद चमोली में स्टाफ के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/1/ट्राजिट हॉस्टल/15/05/31969 दिनांक 20.11.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद चमोली में स्टाफ के आवासीय भवनों हेतु प्रस्तुत प्रारम्भिक आगणन की आंकलित धनराशि के सापेक्ष शासनादेश संख्या–126/XXVIII–5–2013–25/2006 दिनांक 23 फरवरी, 2006 द्वारा ₹24.00 लाख एकमुश्त अवमुक्त किये गये हैं। निर्माण इकाई द्वारा अवशेष कार्यों को पूरा किये जाने हेतु विस्तृत पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया है। उक्त विस्तृत पुनरीक्षित आगणन का टी0ए0सी0, वित्त द्वारा परीक्षण करते हुए सिविल कार्यों हेतु ₹30.88 लाख एवं प्रोक्यूरमेंट रूल्स के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹0.49 लाख अर्थात कुल धनराशि ₹31.37 लाख व्यय किये जाने का औचित्य पाया गया है। अतः पुनरीक्षित विस्तृत आगणन की कुल संस्तुत धनराशि **₹31.37 लाख** की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अवशेष धनराशि ₹7.37 लाख **(रूपये सात लाख सैंतीस हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए व्यय किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर जनपद चमोली को उपलब्ध करायी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।
2. सिविल कार्यों हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के अतिरिक्त आगणन में प्रस्तावित अधिप्राप्ति सम्बन्धी कार्यों अनुमानित लागत ₹0.49 लाख के कार्यों को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के अनुपालन करते हुए किया जाए।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित किये जायें।
4. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाये।
5. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए। कार्य की गुणवत्ता परीक्षण हेतु थर्ड पार्टी चैकिंग व्यवस्था नियोजन विभाग के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी जिसके सापेक्ष आने वाला व्यय भार कार्यदायी संस्था को देय सैन्टेस चार्जेज से ही वहन किया जायेगा।
6. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य करते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

7. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–12 लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत– 01–शहरी स्वास्थ्य सेवायें 110–अस्पताल तथा औषधालय 14–आवासीय भवनों की व्यवस्था, 24–वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–413/XXVII(1)/2013–14 दिनांक 10.06.2013 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 2255 (1)/XXVIII-5-2013-25/2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. कमिश्नर, गढवाल।
6. जिलाधिकारी, चमोली।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी, चमोली।
8. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, चमोली।
9. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर, चमोली।
10. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
12. मीडिया सेंटर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।